

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र./1406/स्था./प्रशासन/2001

बिलासपुर, दिनांक 10.08.2001

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की स्थापित आपात बैठक दिनांक 09.08.2001 के पद क्रमांक-1 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक: 22-1973) की धारा -49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुरांसा स्वीकार करते हुये चयन समिति द्वारा व्याख्याता के लिये अनुरांसित गुणानुक्रम के सरल क्रमांक-1 में दर्शित सुश्री भावना चौबे को प्रौद्योगिकी संस्थान (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन) में वेतनमान रु. 8000-275-13500/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सुश्री भावना चौबे का वेतन मूलभूत नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

इनकी सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम-31 एवं अध्यादेश क्रमांक-4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भत्ते देये होंगे।

इस मद में होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजना के प्रौद्योगिकी संस्थान के बजट से विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार

(फर्णा प्रियंका त्रिवेदी)

कुलसचिव

पु.क्रमांक/1407/स्था./प्रशासन/2001

बिलासपुर, दिनांक 10.08.2001

प्रतिलिपि -

1. सुश्री भावना चौबे, द्वारा श्री विवेक शुक्ला, F-1/2, पुराना मिना बाजार, मुंगेली नाका, बिलासपुर (छ.ग.)को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/पात्रता प्रमाण पत्र, यदि सेवा में हों तो नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।